रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102022-239780
CG-DL-E-20102022-239780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2022/आश्विन 28, 1944
No. 698]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2022/ASVINA 28, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 785(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, सहायक कर (समूह ''ग'' पद) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है का करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में, से केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड में कर सहायक (समूह 'ग' पद) पदों पर भर्ती के पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिपृत नाम तथा प्रारंभ. -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क कर सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनके वेतन मैट्रिक्स मे स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **विशेष उपबंध. -** (1) प्रत्येक काडर नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) का स्वंय प्रथक काडर होगा जब तक कि अनयथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निदेश ना करें ।

(2) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स निदेशालय की स्वीकृत संख्या संबंधित क्षेत्र के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण से वहन की जाती है और उससे ली जाती है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की हैं; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति. -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति. -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग और के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कर सहायक	5981* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक में स्तर - 4 (रू. 25,500 -81,100)	सीधी भर्ती : लागू नही होता; प्रन्नति : अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय ।	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक या समतुल्य; (ii) आंकड़ा प्रविष्ठि कार्य के लिए प्रति घंटे 8000 कुंजी दाब की गति से कम नहीं होना चाहिए; **टिप्पण :** आंकड़ा प्रविटि कार्य के लिए प्रति घंटे 8000 कुंजी दाब की गति इलेक्ट्रानिक आंकड़ा प्रसंस्करण मशीन पर गति परीक्षण संचालन करके आंका जाना है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) पचहत्तर प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अमेलन किया जाएगा
(11)
ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900/-रूपए - 63,200/-रूपए) और हैड हवलदार जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19,900/- रूपए - 63,200/- रूपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, न कर पाने पर :- (क) अवर श्रेणी लिपिक और बहुकार्य कर्मचारी वृन्द की श्रेणी में संयुक्त रूप से ग्यारह वर्ष की सेवा किया हो; या (ख) हैड हवलदार, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारी वृन्द की श्रेणी में संयुक्त रूप से ग्यारह वर्ष की सेवा किया हो; या (ग) अवर श्रेणी लिपिक, हवलदार और बहुकार्य कर्मचारी वृन्द की श्रेणी में संयुक्त रूप से ग्यारह वर्ष की सेवा किया हो। पर विचार किया जाएगा और जिसके पास निम्मलिखित शैक्षिक अहर्ता और अनुभव है, अर्थात: आंकड़ा प्रविटि कार्य के लिए प्रति घंटे 8000 कुंजी दाब की गति और तीन सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद होने वाली विभागीय योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- I एकल आयुक्तालय जिसका कोई सामान्य काडर नहीं ,- i ज्येष्ठतम अपर आयुक्त, मुख्यालय - अध्यक्ष ii अपर या संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, जिसे न हो सकने पर कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त जो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध हो - सदस्य iii अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क - सदस्य iv आयकर उपायुक्त या सहायक आयुक्त - सदस्य II संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् दो या दो से अधिक आयुक्तालय जिनका समान्य काडर हो :- i प्रत्येक आयुक्तालय से ज्येष्ठतम् अपर आयुक्त (उनमे से ज्येष्ठतम् अधिकारी) - अध्यक्ष	लागू नहीं होगा।

ii अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय काडर नियंत्रण आयुक्तालय जिसके न हो सकने पर कोई अन्य ज्येष्ठतम् अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) जो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध हो - सदस्य iii अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क - सदस्य iv आयकर उपायुक्त या सहायक आयुक्त - सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- I एकल आयुक्तालय जिसका कोई सामान्य काडर न हो i ज्येष्ठतम अपर आयुक्त, मुख्यालय - अध्यक्ष ii अपर या संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, जिसे न हो समने पर कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त जो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध हो - सदस्य iii अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क - सदस्य iv आयकर उपायुक्त या सहायक आयुक्त - सदस्य II संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् दो या दो से अधिक आयुक्तालय जिनका समान्य काडर हो :- i प्रत्येक आयुक्तालय से ज्येष्ठतम् अपर आयुक्त (उनमे से ज्येष्ठतम् अधिकारी) - अध्यक्ष ii अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय काडर नियंत्रण आयुक्तालय जिसके न हो सकने पर कोई अन्य ज्येश्ठतम् अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) जो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय उपलब्ध हो - सदस्य iii अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क - सदस्य iv आयकर उपायुक्त या सहायक आयुक्त - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/04/2013-प्रशा-III ख (पार्ट)]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2022

G.S.R. 785(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Excise and Customs Department Tax Assistant, (Group C post) Recruitment Rules, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tax Assistant (Group C post) in the Central Board of Indirect Taxes and Customs under the control of Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Board of Indirect Taxes and Customs Tax Assistant (Group C post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Special Provision. – (1) Each Zonal Cadre Controlling Authority shall have its own separate cadre unless otherwise directed by the Central Board of Indirect Taxes and Customs.

(2) Sanctioned strength of National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics directorate is borne on and drawn from Cadre Controlling Authority of the respective zone.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with anyperson,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of theprovisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the paymatrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required fordirect recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tax Assistant.	5981* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C',Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25,500-81,100) in thepay matrix.	Not applicablefor direct recruits and non-selection for promotees.	18-27 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time totime). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (i) Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent; and (ii) possess a speed of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work. **Note:** The speed of 8000 key depressions per hour for data entry work is to be examined by conducting a speed test on the electronic data processing machine.

Whether age and educational qualifications prescribed fordirect recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotionor deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years fordirect recruits.	(i) Seventy-five percent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; and (ii) Twenty-five per cent by promotion.	**Promotion:** From Lower Division Clerks in level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix and Head Havaldar in level-2 (Rs.19900-63200) in the Pay Matrix who have rendered eight years of regular service in the grade failing which, - (a) eleven years of combined service in Grade of Lower Division Clerk and Multi-Tasking Staff, or; (b) eleven years of combined service in the Grade of Head Havaldar, Havaldar and Multi- Tasking Staff, or; (c) eleven years of combined service in the Grade of Lower Division Clerk, Havaldar andMulti-Tasking Staff shall be taken into consideration and shall possess the following qualification andexperience, namely: - Data Entry Speed of 8000 key depression per hour for data entry work and passed in Departmental Qualifying Examination to be held after a three-week training.

			Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances inwhich Union Public Service Commission is tobe consulted.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (I) Single Commissionerate having no common cadre,- (i) The senior most Additional Commissioner at Headquarters Office – Chairman; (ii) The Additional or Joint Commissioner, Headquarters, failing which any other senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member; (iii) Additional Commissioner of Central Excise or Customs – Member; (iv) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income-Tax – Member. (II) Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre,- (i) The Senior most Additional Commissioner from each of the Commissionerates (the senior most officer among them) — Chairman; (ii) The Additional Commissioner or Joint Commissioner Headquarters of the cadre controlling Commissionerates, failing which any other senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member; (iii) Additional Commissioner or Joint Commissioner of Central Excise and Customs – Member; (iv) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax – Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (I) Single Commissionerate having no common cadre,- (i) The senior most Additional Commissioner at Headquarters Office – Chairman; (ii) The Additional or Joint Commissioner, Headquarters, failing which any other senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member;	Not applicable.

(iii) Additional Commissioner of Central Excise or Customs – Member; (iv) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income-Tax – Member. (II) Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre,- (i) The Senior most Additional Commissioner from each of the Commissionerates (the senior most officer among them) - Chairman; (ii) The Additional Commissioner or Joint Commissioner Headquarters of the cadre controlling Commissionerates, failing which any other senior most Additional Commissioner or Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member; (iii) Additional Commissioner or Joint Commissioner of Central Excise and Customs – Member; (iv) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Income Tax – Member.	

[F. No. A-12018/04/2013-Ad.III.B (Pt.)]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.20 22:52:23 +05'30'